



भारत को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत को [नाटो](#) (North Atlantic Treaty Organization- NATO) सहयोगी के समान दर्जा देने के लिये अमेरिकी सीनेटरों ने हथियार नरियात नरियंत्रण अधिनियम (Arms export Control Act-AECA) में संशोधन की मांग की है।

मुख्य बढि

- नाटो सहयोगी राज्यों के सामान सथतिके लिये अमेरिका के 'हथियार नरियात नरियंत्रण अधिनियम' (AECA) में संशोधन आवश्यक है। इस संशोधन के बाद भारत प्रतरिक्षा से संबंढति अमेरिकी उच्च तकनीक को प्राप्त करने में सक्षम होगा।
- यह संशोधन भारत को अमेरिका का प्रमुख रक्षा साङ्गीदार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभियेगा।
- भारत पहले ही अमेरिका के साथ **COMCASA (Communications, Compatibility and Security Agreement)** पर हस्ताक्षर कर चुका है तथा **BECA (Basic Exchange Cooperation Agreement)** पर हस्ताक्षर करने की चर्चा में शामिल है।
- 28-29 जून को मध्य जापान के ओसाका में आयोजति होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री एवं अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य वार्ता भी प्रस्तावति है। ऐसे में अमेरिकी सीनेटरों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- यह प्रस्ताव अमेरिकी राजनीति में भारतीय प्रभाव को दर्शाता है। कति प्रस्ताव के पारति होने के लिये इसको सीनेट और कांग्रेस से गुजरना पड़ेगा।

उत्तरी अटलांटिकि संधिसंगठन (नाटो)

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

यह अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी इसका मुख्यालय बेलजियम के ब्रुसेल्स में अवस्थति है इस संगठन में अमेरिका तथा यूरोप के सभी प्रमुख देश शामिल है वर्तमान में इसके 29 राज्य सदस्य हैं।

हथियार नरियात नरियंत्रण अधनियिम (Arms export Control Act-AECA)

यह अमेरकी अधनियिम है जो अमेरकी राष्ट्रपती को प्रतररिक्षा से संबंघति सामग्रयिों और सेवाओं के नरियात पर नरियंत्रण प्रदान करता है ।

COMCASA: संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement -COMCASA)

कूटबद्ध/एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण को सरल बनाता है और उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों को साझा करने हेतु यह समझौता अमेरकी की प्रमुख आवश्यकता है ।

BECA: मूल वनियम और सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement)

यह भू-स्थानिक जानकारी के वनियम को आसान बनाता है ।

LEMOA: लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किये थे । यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं की एक-दूसरे की सैन्य सुवधाओं तक पहुँच को आसान बनाता है लेकिन यह इसे स्वचालित या अनवर्य नहीं बनाता है ।

GSOMIA: सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security Of Military Information Agreement) पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये थे । यह सेनाओं को उनके द्वारा एकरति खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देता है ।

स्रोत: द हट्टि (बज़िनेस लाइन)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/us-lawmakers-move-legislation-to-give-india-nato-ally-status>